Naidunia (Indore), 08th November 2024, Page-06

जागरूकता जरूरी

सर्कुलर इकानामी को राज्य में बढ़ावा देने के लिए आइआइटी में वर्कशाप, स्टेक होल्डर हुए शामिल

इलेक्ट्रानिक वेस्ट को दोबारा उपयोग लायक बनाने की यूनिट की हो स्थापना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भारतीय प्रौद्योगिकी इंदौर में गुरुवार को मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से सर्कुलर एकानामी को राज्य में बढ़ावा देने के लिए वर्कशाप आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट के वेस्ट के व्यवसाय से जुड़े सभी स्टेक होल्डर शामिल थे।

आइआइटी परिसर में कार्यशाला में संबोधित करते वक्ता। ● सौजन्य

वर्कशाप में इलेक्ट्रानिक उत्पादों के अनुपयोगी होने पर इनके फिर से उपयोग, नवीनीकरण, पुन निर्माण, पुनर्चक्रीकरण संबंधी यूनिट की राज्य में स्थापना को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में यूनिट स्थापना के लिए अलग से विशेष नीति व प्रोत्साहन योजना बनाकर विशेष सहायता प्रदाय करने के बिंदु पर चर्चा की गई। कार्यशाला में ई-कचरा प्रबंधन पर आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से चर्चा की गई।

कार्यशाला में 125 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। आइआइटी इंदौर के डायरेक्टर डा. सुहास जोशी ने ई-वेस्ट के एकत्रीकरण व उपचार पर जोर देते हुए जन-सामान्य में जागरूकता फैलाने के बारे में बताया। कार्यकम में एए मिश्रा, बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी आदि मौजूद थे।

ईपीआर पोर्टल के बारे में बताया : पर्यावरण विभाग मप्र के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्कुलर इकोनामी चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रदेश में लागू किया जाना है। जिसके तहत विभिन्न अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट तथा इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट आदि को लेकर कार्यवाई की जा रही है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से अमित वशिष्ठ ने भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट को लेकर तैयार अवधारणा नीति को विस्तार से बताया।

ईपीआर व्यवस्थ के बारे में बताया : इसके साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक डा आनंद कुमार द्वारा ई-अपशिष्ट के निपटान में लागू की गई ईपीआर व्यवस्थ एवं उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति देने संबंधी पोर्टल का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया गया। डा. कुमार द्वारा हाल ही में लागू किए गए इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में लागू ईपीआर व्यवस्था और ईपीआर पोर्टल पर की जाने वाली कारवाई के बारे में बताया।

कड़े नियम बने, ताकि बेहतर प्रोडक्ट तैयार हो

भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक, एसबीआई बैंक के प्रबंधक, सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मसूद मलिक और सस्टेनेबल इलेक्ट्रानिक रिसाइकलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के सीनियर एडवाइजर संदीप चटर्जी द्वारा की अपशिष्ट के निपटान और रिफर्बिशिंग के संबंध में कठोर मानक निर्धारण किया जाने पर जोर दिया साथ ही इसका समय-समय पर प्रमाणीकरण कराए जाने का उल्लेख किया ताकि मार्केट में जो भी रिफर्विश्ड उत्पाद आए यह उच्च गुणवत्ता के हों।